13.2.22 पत्रावली पेशी में [illegible] प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी उप. हैं। तहसीलदार सांगोद से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया है कि सीताबाई व सीताबाई पुत्री [illegible] एक ही महिला का नाम है, तथा रिपोर्ट ग्राम पंचायत बडिया के अनुसार भी उक्त दोनों नाम की एक ही महिला है, अतः उक्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाता है, विधिवत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 115/2021

तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

सीताबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया हाल निवासी रानपुर कोटा जिला कोटा राजस्थान।

– वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनांक :– 23.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसमें वादिनी का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादिनी का नाम गलत रूप से छीतरबाई पुत्री नारायण दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में निहित वादिनी के हिस्से की आराजी मौके पर शांति पूर्वक वादिनी के कब्जे काश्त में है, वादिनी ने अपने हिस्से की आराजीयात का विकास कार्य करवाने हेतु खाते की नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो वादिनी की जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 373 कुल किता 13 की कुल 11.15 हैक्टर की आराजीयात में वादिनी का नाम छीतरबाई पुत्री नारायण दर्ज किया हुआ है जबकि वादिनी का वास्तविक नाम सीताबाई पुत्री नारायण है।

माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 221 कुल किता 18 की कुल 4.80 है0. आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा वादिनी का नाम सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किया हुआ है जो वादिनी का वास्तविक नाम है तथा वादिनी के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत खडिया के प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज से भी वादिनी का नाम सीताबाई पुत्री नारायण होने की पुष्टि होती है।

वादिनी द्वारा कर्मचारी हलका पटवारी महोदय से उक्त गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करने के लिए आज से एक माह पूर्व कहने पर उनके द्वारा गलत नाम को दुरस्त करने से मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके आदेश लाने के बाद ही दुरस्ती करने की कहने से वादिनी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: Self Attested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आषय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। पटवारी हलका दिल्लीपुरा द्वारा छीतरबाई पुत्री नारायण एवं सीताबाई पुत्री नारायण एक ही व्यक्ति होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादिनी द्वारा छीतरलाल, हेमन्त कुमार, बालकृष्ण, ललीता बाई, जोधराज के शपथ पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा बहस की गई तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, छीतरलाल, हेमन्त कुमार, बालकृष्ण, ललीता बाई, जोधराज द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पटवारी हलका दिल्लीपुरा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0, खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... कोटा

नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 115/2021 तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

सीताबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया हाल निवासी रानपुर कोटा जिला कोटा राजस्थान।

– वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनांक :– 23.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बहादुर सिंह मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 373 के खसरा नं0 1224 की 1.11 है0, खसरा नं0 1225 की 1.62 है0,

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

खसरा नं0 1226 की 1.90 है0, खसरा नं0 1227 की 1.23 है0, खसरा नं0 1228 की 1.46 है0, खसरा नं0 1229 की 0.01 है0, खसरा नं0 1230 की 0.88 है0, खसरा नं0 1231 की 0.80 है0, खसरा नं0 1232 की 0.92 है0, खसरा नं0 1233 की 0.26 है0, खसरा नं0 1234 की 0.48 है0, खसरा नं0 1235 की 0.14 है0, खसरा नं0 1236 की 0.34 है0 कुल 13 किता की कुल 11.15 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादिनी के गलत नाम छीतरबाई पुत्री नारायण के स्थान पर सीताबाई पुत्री नारायण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested